राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 25/4/2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.4.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक इस माह आयोजित नहीं की गई है, आयोजित की जाए। (एसई, आईएवाई)

2. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट में आने वाली कुछ मामलों में तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण वैब साईट डवलपर्स से कराया जाए।

(परि0निदेशक एसएपी–I एवं II)

3. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु एमपी लैड योजना में 169 कार्यो एवं बीएडीपी योजना में लगभग 25 कार्यो की सूची थर्ड पार्टी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही करें। (परि0निदेशक एसएपी–I एवं II)

4. थर्ड पार्टी निरीक्षण के दौरान ध्यान में लाये जाने वाले अनियमित कार्यो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे, जिसमें राशि की वसूली एवं अनुशासनिक कार्यवाही शामिल है ।

(एसई, आईएवाई)

5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में वाटरसैड के पुराने रिकार्ड के संबंध में बैठक आयोजित की जाए, जिसमें आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त वाटरसैड को आमंत्रित किया जाए। एजेण्डा तुरंत तैयार कर अनुमोदन करायें। (सं.शा.सचिव. प्रशासन)

6. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले 45 विकास अधिकारियों को चार्जशीट पंचायतीराज विभाग द्वारा दे दी गयी है। प्रगति संबंधी सचूना पंचायतीराज विभाग से प्राप्त करें। (सं.शा.सचिव,प्रशा.)

7. आवास योजना
   - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए आवास योजना में प्रथम किश्त वर्ष 2015–16 की लगभग 525 की पैंड़िग है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए।
   - अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया है। जिलों को राशि रिलीज की जा रही है। लॉटरी की प्रकिया पुनः की जाए।

- ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिला को उपलब्ध कराये जाए।
- जिला बाडमेर में पुराने आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु जिले को निर्देशित करें।

- अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति से करवाकर श्रम विभाग को अवगत कराया जाए। इस संबंध में बैठक की तिथी निर्धारित कर बैठक करवाई जाए। (एसई,आईएवाई)

8. मुख्य मंत्री कार्यालय को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में अद्यतन प्रगति से अवगत ,कराते हुए वर्ष 2016–17 में नयी ग्राम पंचायतों के चयन करने के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

   एमएजीपीवाई योजना में सफलता की कहानी नहीं भिजवाने वाले जिला कलक्टर्स को नोटिस जारी किया जाए तथा सफलता की कहानी भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाए। सफलता की कहानी की बुक दस दिवस में छपवाई जाए। (पीडी,एसएपी–I)

9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में वर्ष 2016–17 के लिए 50 करोड रूपये के प्रावधान हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भेजी जाए तथा इसके उपयोग के संबंध में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को पत्रावली प्रस्तुत करेगें।
   (परि0निदे0एसएपी–I)
10. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति एवं आरएसएलडीसी के पास प्रशिक्षण मद से 4 करोड का व्यय नहीं किये जाने की समीक्षा की जाए। इस हेतु आरएसएलडीसी को पत्र लिखा जाए।
   (पीडी एसएपी–II)
11. विधान सभा प्रश्न का निस्तारण अभियान के तौर पर एक सप्ताह में पूर्ण करायें।
   (सं0शा0सचिव, प्रशासन/पीडी/योजना प्रभारी)
12. विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014–25 व 2015–16 की 25000 से अधिक कार्यो की यूसी/सीसी का समायोजन शेष है, इसे कराया जाए।
   (वित्तीय सलाहकार)
13. 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की सूची वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार कर ली गई है। यह राशि जिलों से प्राप्त कर वित्त विभाग को जमा करवाई जाये ।
   (वित्तीय सलाहकार)
14. महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है। अतः नवीनतम प्रगति से अवगत करावें।

   वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा के सहयोग से एसबीबीजे से इस सप्ताह में चर्चा कर सॉफ्टवेयर बनाया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में किये जा रहे सोफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाए। इस संबंध में बैंक अधिकारियों के साथ बैइक की जाये । (वित्तीय सलाहकार)

15. डांग, मगरा, मेवात, श्री योजना में 3 प्रतिशत प्रशासनिक मद की जिसमें सर्वे कार्य कराया जाना है, RGPSA से प्राप्त की जानी है।

(पीडी एसएपी–II / प्रभारी श्री योजना ग्रा.वि)

16. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए–

1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016–17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं।

(पीडी, एसएपी–II)

2. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की प्रगति समीक्षा प्रभारी श्री योजना द्वारा की जाएगी। इसके लिए उनके द्वारा मैनपावर लिया जायेगा। (पीडी, एसएपी–II, श्रीयोजना)

17. मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने हेतु राजीविका से चर्चा कर ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। राजीविका को भूमिहीन महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करें।

(एसई, आईएवाई)

18. सीएसआर के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग को भेजे गये पत्र की अनुपालना प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। इस हेतु स्मरण पत्र जारी किया जाए।

(पीडी एमएण्डई)

19. परियोजना अधिकारी (अभि0) एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद की बैठक दिनांक 13.5.2016 को आयोजित की जाए।

(एसई, आईएवाई)

20. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में जिला कलक्टर की पर्फोरमेन्स हेतु त्रैमासिक प्रगति की सूचना मुख्य सचिव महोदय एवं सम्भागीय आयुक्त के साथ–साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की पर्फोरमेन्स शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग को भेजी जावे।

(पीडी एमएण्डई)

21. वर्ष 2016–17 के लिए विभागीय योजनाओं का जिलेवार आवंटन आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर पर डाला जाए। स्वविवेक, बीएडीपी का आवंटन डाला जाना अपेक्षित है।

(योजना प्रभारी)

22. क्रियान्विति चर्चा हेतु घोषणाओं की डिटेल संलग्न की जाए। मुख्य मंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में शासन सचिव स्तर पर योजना प्रभारियों की बैठक रखी जाए।

(योजना प्रभारी)

23. गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट तैयार की जाए।

(पीडी एमएण्डई)

24. विभिन्न योजनाओं में दि0 1.3.2016 के बाद प्राप्त द्वितीय किश्त की राशि का मार्च माह की एमपीआर में नहीं दर्शाया जाए।

(पीडी,एमएण्डई)

25. डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को पत्र लिखवाया जाए।
26. ई–टेंडर के लिए यूजर आईडी क्रिऐट करायी जाए।

(वित्तीय सलाहकार, परि0अधि0 प्रशा0)

27. जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट इसी माह की जाए।

(पीडी, एसएपी–I–II, वित्तीय सलाहकार)

28. डांग, मगरा, मेवात योजना का वार्षिक प्लान 31.4.2016 तक बनाया जाए।

(पीडी, एसएपी–II)

29. कलक्टर कॉन्फ्रेंस के मध्यम राज्य स्तर से जिला कलक्टर्स को योजनाओं की कियान्विति के संबंध में उठाये जाने वाले मुद्दों का चिन्हिकरण कर जिला कलक्टर को भेजते हुए इसकी प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाए।

(समस्त योजना प्रभारी)

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)